ई–मेल

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको. / 2017 /

लखनऊ : दिनांक 05/05/ 2017

–:: आदेश ::–

नवीन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या–1961 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965 / सेक–2–पॉच–16–7(255) / 2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित चिकित्सकों** को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में **उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय** में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

1– पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं / आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार / विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच / न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छूक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय /जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा0 भीम सिंह–8174	स्व0 नन्हकू सिंह	04.10.1956	31.10.2016	एम0एस0 आर्थो0	जिला चिकित्सालय, मऊ
2.	डा0 प्रेम नरायण बाजपेयी–7235	स्व0 राजा राम बाजपेयी	02.07.1956	31.07.2016	डी0 आर्थ0	जिला चिकित्सालय, कन्नौज
3.	डा0 अनिल प्रकाश–5173 A	श्री बृजभूषण शर्मा	21.08.1955	31.08.2015	एम0डी0 (एनेस्थीसिया)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़
4.	डा0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव–8472	स्व0 सोमेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव	18.12.1956	31.12.2016	डी0ए0	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़
5.	डा0 नवीन प्रकाश श्रीवास्तव–7165 क	स्व0 बजरंग बली श्रीवास्तव	04.09.1956	30.09.2016	एम0डी0 पैथलोजी	जिला चिकित्सालय, हरदोई
6.	डा0 देवेन्द्र कुमार सिंह–6914	स्व0 श्रीकेदार नाथ सिंह	10.01.1957	31.01.2017	डी0एम0आर0डी0	एसएसपीजी जिला चिकित्सालय, वाराणसी
7.	डा0 प्रदीप कुमार सिंह–4442	स्व0 कृष्णा कुमार	05.02.1954	28.02.2014	डी0टी0सी0डी0	यू0एच0एम0 जिला चिकित्सालय, कानपुर नगर
8.	डा0 ओम प्रकाश द्विवेदी–5836	स्व0 टी0 एन0 द्विवेदी	01.09.1956	31.08.2016	डी0एल0ओ0	मोती लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, इलाहाबाद
9.	डा0 ध्रुवनाथ –6870	स्व0 शंकर	15.01.1955	31.01.2015	डी0 आर्थ0	जिला चिकित्सालय, लखीमपुर खीरी
10.	डा0 ओम प्रकाश–6207	स्व0 राम राज	20.07.1956	31.07.2016	डी0सी0एच0	जिला चिकित्सालय, बस्ती
11.	डा0 अनिल कुमार गुप्ता–8413	स्व0 जे0एल0 गुप्ता	08.06.1956	30.06.2016	एम0डी0 ऐनस्थिसिया	जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़
12.	डा0 प्रमोद कुमार–5579	स्व0 राधे श्याम पोरवाल	05.01.1957	31.01.2017	एम0डी0 (पैथोलाजी)	जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर
13.	डा0 श्रीराम सोनी–5593	स्व0 डी0पी0 सोनी	01.07.1956	30.06.2016	एम0एस0 (नेत्र)	जिला चिकित्सालय, झांसी
14.	डा0 सदानन्द–5425	स्व0 बाबा नन्द	21.12.1956	31.12.2016	एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	डा0 एस0पी0एम0 सिविल चिकित्सालय, लखनऊ
15.	डा0 उदय वीर सिंह–	श्री हरी किशन	15.01.1957	31.01.2017	डी0टी0सी0डी0	जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर